

दिनांक: 20.04.2026

परिचालन एवं सेवाएं विभाग

प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

ईमेल: operations.ho@bankofbaroda.bank.in

भारत में स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र

महोदया / महोदय,

विषय: धोखाधड़ी निवारण संबंधी दिशानिर्देश

हम परिपत्र संख्या एचओ:बीआर:111:213 दिनांक 09.08.2019 और एचओ:बीआर:112:46 दिनांक 05.02.2020 का संदर्भ देते हैं जिसके माध्यम से धोखाधड़ी निवारण से संबंधित दिशानिर्देश/उपाय जारी किए गए थे जिनमें निम्नलिखित प्रमुख दिशानिर्देशों को दोहराया गया था।

1. मोबाइल नंबर का पंजीकरण / मोबाइल नंबर में बदलाव
2. इंटर-सोल ट्रांसफर और क्लियरिंग लेनदेन
3. गैर-आधार शाखा से खाता विवरणी जारी करना
4. आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से विप्रेषण
5. योरसेल्फ / बैंक ऑफ़ बड़ौदा के नाम पर चेक
6. डे-एंड गतिविधि को पूरा करने की अनिवार्यता
7. ग्राहकों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वे अपनी गोपनीय जानकारी जैसे कि डेबिट कार्ड पिन, ओटीपी, पासवर्ड आदि किसी के साथ साझा न करें।
8. सरकारी खातों में उच्च मूल्य के लेनदेन का निपटान

इस संबंध में, 12वें द्विपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन पर जारी परिपत्र संख्या बीसीसी:बीआर:116:191 दिनांक 26.03.2024 का भी संदर्भ दिया जाता है जिसमें सभी शाखाओं/कार्यालयों को 12वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार व्यवसाय सहयोगियों के पासिंग अधिकार, भूमिकाएं और कर्तव्य 01 अप्रैल, 2024 से संशोधित किए जाने के संबंध में सूचित किया गया है।

12वें द्विपक्षीय समझौते के अनुपालन में, सभी सीएसए (ग्राहक सेवा सहयोगी), वरिष्ठ सीएसए (वरिष्ठ ग्राहक सेवा सहयोगी) और विशेष सीएसए (विशेष ग्राहक सेवा सहयोगी) को 12वें द्विपक्षीय समझौते में सीएसए, वरिष्ठ सीएसए और विशेष सीएसए के कार्यदायित्व के अंतर्गत उल्लिखित राशि तक नकद/समाशोधन आदि वाउचरों और अन्य समान लिखतों के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी व्यक्तिगत पासिंग शक्तियों का प्रयोग करना है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सूचित किया जाता है कि ऐसे वाउचर / अन्य समान लिखतों जिन पर सीएसए, वरिष्ठ सीएसए और विशेष सीएसए द्वारा व्यक्तिगत पासिंग अधिकार का प्रयोग किया जाता है, उन्हें समय-समय पर सूचित किए गए "फोर-आई सिद्धांत" (Four-Eye Principle) के अनुपालन में संबंधित कर्मचारी द्वारा पोस्ट किए जाने पर सत्यापन के लिए

संबंधित शाखा अधिकारी को भेजा जाए। तथापि, संबंधित कर्मचारी द्वारा ऐसे वाउचरों को उनकी व्यक्तिगत पासिंग सीमा तक पोस्ट करके ग्राहकों को तत्काल सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

शाखाओं के शाखा प्रबंधक / संयुक्त प्रबंधक / परिचालन प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कोई भी वाउचर, जिन पर सीएसए, वरिष्ठ सीएसए, या विशेष सीएसए द्वारा व्यक्तिगत पासिंग अधिकार का प्रयोग किया गया है, सत्यापन के लिए लंबित न रहें; बल्कि संबंधित शाखा कर्मचारियों द्वारा पोस्टिंग के बाद, उनका सत्यापन निरंतर आधार पर किया जाए।

अंचल / क्षेत्र / शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक नोट करें ताकि उनका कड़ाई से अनुपालन किया जा सके।

भवदीय,

हस्ता./-

सुधांशु कुमार सिंह
महाप्रबंधक
परिचालन

Date: 20.04.2026

Operations & Services Department
Head Office, Baroda

Email: operations.ho@bankofbaroda.bank.in

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Madam / Sir,

Re: Guidelines on prevention of frauds

We refer to Circular No. HO:BR: 111:213 dated 09.08.2019 and HO:BR:112:46 dated 05.02.2020, issued on Guidelines / Measures for prevention of frauds wherein following major guidelines were reiterated.

1. Registration of Mobile number /change of Mobile Number.
2. Inter-SOL transfer and clearing transactions.
3. Issuing account statement from Non-Base branch.
4. Remittance through RTGS /NEFT.
5. Cheque favouring Yourself / Bank of Baroda.
6. Mandatory completion of Day End activity.
7. Customers should be educated not to share their confidential information such as Debit card PIN, OTP, password etc.
8. Dealing with High value transactions in Government Accounts.

In this connection, reference is also invited to Circular No. BCC:BR:116:191 dated 26.03.2024 issued on implementation of 12th Bipartite settlement wherein all branches / offices are advised that in line with the 12th Bipartite Settlement, the passing powers, roles and duties of Clerical staff members have been revised w.e.f. 01st April 2024.

In compliance to the 12th Bipartite Settlement, all CSAs (Customer Service Associates), Sr. CSAs (Senior Customer Service Associates) and Spl. CSAs (Special Senior Customer Service Associates) are to exercise individual passing powers for cash / clearing etc. vouchers, other like instruments independently upto and including the amount mentioned under duties of CSA, Sr. CSA and Spl. CSA in 12th Bipartite settlement.

In view of the above, it is hereby advised that such vouchers / other like instruments where individual passing powers are exercised by CSA, Sr. CSA and Spl. CSA are referred to the concerned branch official for verification as and when the same are posted by concerned staff in compliance with "Four-Eye Principle" concept advised from time to time. However, the services are to be immediately provided to the customers by posting such vouchers up to the individual passing power by the concerned staff.

Branch Manager / Joint Manager / Operations in-charge in the branches to ensure that no such vouchers where individual passing powers are exercised by CSAs, Sr. CSAs, Spl. CSAs should be kept pending for verification and are to be verified on ongoing basis after posting by the concerned branch staff.

Zones / Regions / Branches are advised to take careful note of the aforesaid guidelines, for strict compliance.

Yours faithfully,

-sd/-

Sudhanshu K Singh
General Manager
Operations